

दिनांक 02 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

### कृषि खाद्य निर्यात

#### 415. एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने हाल के आंकड़ों का संज्ञान लिया है, जो दर्शाता है कि महाराष्ट्र ने वित्त वर्ष 2024-25 में कृषि - खाद्य निर्यात में 15 प्रतिशत की वृद्धि हासिल की है, जिससे इसका निर्यात प्रोफाइल मजबूत हुआ है और निर्यात लगभग 47,017 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) इस वृद्धि के हिस्से का ब्यौरा क्या है जिसका श्रेय मंत्रालय द्वारा प्रबंधित निर्यात संवर्धन योजनाओं (जैसे एपीडा) तथा राज्य एजेंसियों के साथ समन्वय को जाता है;
- (ग) क्या नंदुरबार जैसे निर्वाचन क्षेत्रों (जिसकी ताकत कृषि/ बागवानी है) के लिए स्थानीय उत्पादन को निर्यात मूल्य श्रृंखलाओं से जोड़ने के लिए विशेष समर्थन की योजना बनाई गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) मंत्रालय नाशवान वस्तुओं के ग्रीन-लेन क्लीयरेंस (जैसे जेएनपीटी के जरिए) को बढ़ाने के लिए कौन सा ढांचा अपनाएगा, जिससे खराबी कम हो और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़े;
- (ङ) क्या मंत्रालय का इरादा महाराष्ट्र के दूर-दराज या आदिवासी जिलों में कृषि-निर्यात संकुल को अवसंरचना, सर्टिफिकेशन और मार्केट लिंक-अप के साथ सपोर्ट करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (च) मंत्रालय महाराष्ट्र में कृषि-निर्यात वृद्धि का जिला-वार रोडमैप कब तक प्रकाशित करेगा तथा 2025-26 तक इसकी अपेक्षित मात्रा क्या होगी?

#### उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (च) भारत के सभी कृषि और खाद्य उत्पादों के निर्यात में वर्ष 2024-25 में 8.81 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिसका मूल्य 4,39,575.30 करोड़ रुपये है, जबकि इसी अवधि में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) की अनुसूची के तहत कृषि और खाद्य उत्पादों का निर्यात 13.91 प्रतिशत बढ़ा है, जिसका मूल्य 2,42,222.66 करोड़ रुपये है।

सरकार भारत से कृषि और खाद्य उत्पादों के कुल निर्यात का रिकॉर्ड रखती है। महाराष्ट्र राज्य सहित कृषि और खाद्य उत्पादों के राज्य-वार निर्यात के आंकड़े सत्यापन के अभाव में नहीं रखे जाते हैं, क्योंकि ये निर्यातकों द्वारा शिपिंग बिलों में दर्ज किए गए राज्य कोड पर आधारित होते हैं।

अपने अनुसूचित उत्पादों के निर्यात संवर्धन हेतु, एपीडा अपनी कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात संवर्धन योजना (एफएएस योजना) के अंतर्गत निर्यातकों को 15वें वित्त आयोग चक्र (वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26) के लिए तीन घटकों में वित्तीय सहायता प्रदान करता है: (i) निर्यात अवसंरचना का विकास, (ii) गुणवत्ता विकास, (iii) बाजार विकास। इस योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकारों और उनकी संबंधित एजेंसियों के साथ निकट समन्वय में किया जाता है, ताकि बेहतर परिणामों के लिए हितधारकों को प्रयासों और समर्थन में अभिसरण सुनिश्चित किया जा सके। योजना के दिशा-निर्देश <https://apeda.gov.in/financialassistschemes> पर उपलब्ध हैं।

एपीडा की वित्तीय सहायता योजना एक मांग आधारित योजना है, जिसके तहत उन लाभार्थियों को सहायता प्रदान की जाती है जिनके प्रस्तुत आवेदन वित्तीय सहायता के लिए पात्र पाए गए। तथापि, कृषि एवं खाद्य उत्पादों की निर्यात मूल्य श्रृंखला में हितधारकों के योजना प्रसार और प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के लिए एपीडा द्वारा वर्तमान वित्त वर्ष में अब तक नंदुरबार जिले में कुल 3 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें एफपीओ (किसान उत्पादक संगठन), एफपीसी (किसान उत्पादक कंपनियां), स्टार्टअप, महिला उद्यमी, किसान आदि सहित 289 हितधारकों को शामिल किया गया है। इस योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र के लाभार्थियों सहित अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को पात्र परियोजना लागत के 75 प्रतिशत तक की बढ़ी हुई सहायता प्रदान की जाती है।

जेएनपीए (जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण) पर जल्दी खराब होने वाले सामानों की निकासी के लिए, बंदरगाह ने अपने सड़क अवसंरचना को उन्नत किया है, जिसमें सभी टर्मिनलों को जोड़ने वाली आठ-लेन की मुख्य सड़क और चार से छह-लेन की पहुंच सड़कें शामिल हैं। ये 2,000 ट्रेलरों के लिए एक केंद्रीकृत पार्किंग प्लाजा और 24x7 यातायात प्रबंधन टीम के साथ प्रभावी रूप से “ग्रीन” लेन के रूप में काम करती हैं। इसके अलावा, दो प्रमुख टर्मिनल, बीएमसीटीपीएल (भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड) और एपीएम टर्मिनल्स पहले से ही इन ग्रीन लेन सुविधाओं के साथ काम कर रहे हैं, जो जेएनपीए की कुल मात्रा का लगभग 70% हिस्सा संभालते हैं।

निर्यात केन्द्र के रूप में जिले(डीईएच) भारत सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य स्पष्ट निर्यात क्षमता वाले उत्पादों और सेवाओं की पहचान करके जिला स्तरीय निर्यात वृद्धि को बढ़ावा देना है। इस पहल का उद्देश्य राज्य सरकारों के साथ समन्वय में जिला निर्यात कार्य योजनाएं (डीईपीएस) तैयार करके स्थानीय मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करना है ताकि अवसंरचना, लॉजिस्टिक्स, मानकीकरण, ब्रांडिंग, बाजार पहुंच और क्षमता निर्माण में महत्वपूर्ण कमियों को दूर किया जा सके। डीआईएच फ्रेमवर्क में कारीगरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और पहली बार निर्यातकों को घरेलू और वैश्विक बाजारों में अधिक प्रभावी ढंग से एकीकृत करने में सक्षम बनाने पर भी जोर देता है।

\*\*\*\*\*